राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या ....1660/2015.. जिला : झुंझुनू.........

उनवान– श्री बचनाराम मीणा, वाहन चालक, मुकुन्दगढ जरिये मैसर्स जोधपुर देहली ट्रांसपोर्ट कम्पनी, दिल्ली, बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, वृत–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2015	<u>एकलपीठ</u> श्री मनोहर पुरी, सदस्य अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2015 जो राजस्थान वैट अधिनियम, 2006 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 76(11) के तहत् पारित आदेश से कर निर्धारण आदेश में रूपये 1,43,200/– की मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष मांग राशि रूपये 1,43,200/– को स्थगित करने के लिए स्थगन आवेदन प्रार्थना पत्र मय अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने उक्त स्थगन आवेदन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र में रू0 1,43,200/– को विवादित किया है। अपीलार्थी के अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा ने स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की, एवं प्रत्यर्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा ने स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षों की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों अध्ययन करने के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में अवशेष बकाया शेष वसूली योग्य मांग राशि रू0 1,43,200/– की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। मनोहर पुरी 19.10.2015 (मनोहर पुरी) सदस्य	